कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 351/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** दिनांक- 06.09.2026

थाना पवई, जनपद आजमगढ़
गला दबाकर हत्या के मुकदमे में 03 नामजद आरोपी 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार
नाली में पानी बहाने के विवाद को लेकर हरिओम पाण्डेय की मारपीट कर गला दबाकर हत्या करने का आरोप।
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के नसोपुर अंडरपास से तीनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा जा रहा है।

अवगत कराना है कि दिनांक 04.09.2026 को वादी विरेन्द्र पाण्डेय निवासी चकिया बखरिया, थाना पवई, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना पवई पर तहरीर दी गई कि पूर्व में हुई कहासुनी को लेकर यदुवंश मणि त्रिपाठी, रामलाल शर्मा एवं 01 अभियुक्ता द्वारा नाली के विवाद को लेकर उनके पुत्र हरिओम पाण्डेय उम्र करीब 30 वर्ष के साथ घर के दरवाजे पर मारपीट कर उसका गला दबा दिया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों द्वारा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपी मौके से फरार हो गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पवई पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन के कुशल पर्यवेक्षण में घटना के नामित आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयास के क्रम में दिनांक **06.09.2026 को थानाध्यक्ष मनीष पाल मय पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित तीनों नामजद आरोपियों यदुवंश मणि त्रिपाठी, रामलाल शर्मा एवं 01 अभियुक्ता को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के पोल संख्या 187.8 स्थित नसोपुर अंडरपास से समय करीब 02:52 बजे गिरफ्तार किया गया।** गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार आरोपियों का विवरण:

1. यदुवंश मणि त्रिपाठी पुत्र उमाकान्त त्रिपाठी, निवासी चकिया बखरिया, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।
2. रामलाल शर्मा पुत्र सहदेव शर्मा, निवासी चकिया बखरिया, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।
3. 01 अभियुक्ता, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग:

मु0अ0सं0 209/2026, धारा 103(1)/351(3) बीएनएस, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास:

गिरफ्तार आरोपी यदुवंश मणि त्रिपाठी के विरुद्ध थाना पवई पर पूर्व में मु0अ0सं0 0089/2012 धारा 149/323/395/452/504/506 भादवि तथा वर्तमान अभियोग मु0अ0सं0 209/2026 धारा 103(1)/351(3) बीएनएस पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

थानाध्यक्ष मनीष पाल, का0 राकेश गोड, का0 जमींदार विश्वकर्मा, का0 धीरज वर्मा, का0 रोहन, का0 नितिन मिश्रा एवं म0का0 ज्योति गुप्ता, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।

थाना रौनापार पुलिस ने मुकदमा उपरोक्त में वांछित आरोपी अखिलेश यादव को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा।

दिनांक 05.07.2026 को वादी द्वारा थाना रौनापार पर तहरीर दी गई कि उनकी किशोरी पुत्री को आरोपी अखिलेश यादव पुत्र रामकुवर यादव उर्फ कुँवर यादव, निवासी देवारा ईस्माइलपुर, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाया गया। तहरीर के आधार पर **मु0अ0सं0 183/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस** पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता की बरामदगी कर मेडिकल परीक्षण एवं बयान के आधार पर मुकदमे में **धारा 64(1), 115(2), 352, 351(3), 324(4) बीएनएस एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट** की बढ़ोत्तरी की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के आदेश के अनुपालन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण तथा क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में दिनांक **06.09.2026 को उ0नि0 ओमप्रकाश तिवारी मय पुलिस टीम द्वारा आरोपी अखिलेश यादव उम्र करीब 30 वर्ष को ग्राम बेलहिया ढाला से गिरफ्तार** किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग: मु0अ0सं0 183/2026 धारा 137(2), 87, 64(1), 115(2), 352, 351(3), 324(4) बीएनएस एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट, थाना रौनापार।

गिरफ्तारी टीम: उ0नि0 ओमप्रकाश तिवारी, का0 राहुल गौड़ एवं का0 रामप्रकाश कुशवाहा, थाना रौनापार।

थाना–जहानागंज, जनपद आजमगढ़

शातिर गौ-तस्कर व गैंगस्टर सहित 15 मुकदमों में आरोपी तमंचा-कारतूस के साथ गिरफ्तार

आजमगढ़, अयोध्या, गोण्डा व प्रतापगढ़ में गोवध, गैंगस्टर, एनडीपीएस व आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न अपराधों में दर्ज हैं 15 मुकदमे।

जहानागंज पुलिस ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद कर भेजा न्यायालय।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक **06.09.2026 को थाना जहानागंज पुलिस ने मो0 तालिब उर्फ तालिव उर्फ छोटू पुत्र फिरोज अहमद निवासी ग्राम पिठापुर, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 30 वर्ष को जलालपुर हरिजन बस्ती के पास से गिरफ्तार** किया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से **01 अवैध तमंचा .315 बोर एवं 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर** बरामद हुआ।

पंजीकृत अभियोग: मु0अ0सं0 190/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना जहानागंज।
आपराधिक इतिहास: आरोपी के विरुद्ध आजमगढ़, अयोध्या, गोण्डा एवं प्रतापगढ़ में **गोवध निवारण अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में कुल 15 अभियोग** पंजीकृत हैं।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम: उ0नि0 शिवम त्यागी, का0 रवि कन्नौजिया एवं रि0का0 अर्पित दुबे, थाना जहानागंज।